न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 01/2025
दायर दिनांक : 10/02/2025
निर्णय दिनांक : 07/01/2026

उनवान

1. उदयसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. नारायणसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. पारसकुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. दरियाव कुंवर पुत्री शंभूसिंह राजपूत निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयानाथ पुत्र भैरूनाथ निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. कैलाशनाथ पुत्र भैरूनाथ निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, बबराना तहसील भूपालसागर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1. श्री कृष्ण कुमार प्रजापत, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि ग्राम बबराना पटवार हल्का बबराना के हल्के बैरूनीमें खातेदार कन्हैयानाथ पुत्र भैरूनाथ कैलाशनाथ पुत्र भैरूनाथ योगी द्वारा पंजीयन कमांक 202403387101211 द्वारा हाल आराजी नंबर 182 रकबा 0.24 है., आ.सं. 183 रकबा 0.71 है. का हम खातेदार श्री उदयसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत, श्रीमती दरियाव कुंवर पुत्री शंभूसिंह पत्नी रामसिंह राजपूत, श्री नारायणसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत एवं श्रीमती पारस कुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत से सम्पूर्ण हिस्सा कय किया। आ.सं. 184 रकबा 0.13 है., आ.सं. 185 रकबा 0.12 है., आ.सं. 189 रकबा 0.26 है., आ.सं. 190 रकबा 0.08 है., आ.सं. 191 रकबा 0.16 है., आ.सं. 192 रकबा 0.03 है., आ.सं. 229 रकबा 0.05 है., आ.सं. 243 रकबा 0.05 है., आ.सं. 511 रकबा 0.17 है., आ.सं. 512 रकबा 0.17 है., आ.सं. 515 रकबा 0.17 हे., आ.सं. 517 रकबा 0.43 है. का कय खातेदार श्री उदयसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत को 55/396 में से 23/396 हिस्सा तथा श्रीमती पारस कुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत को 2/72 में से 1/72 हिस्सा मिला। आ.सं. 187 रकबा 0.05 है. का कय खातेदार श्री उदयसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत एवं श्रीमती पारस कुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत का सम्पूर्ण हिस्सा कय किया। वजह सबूत नकल बेचान पंजीयन दस्तावेज अपील के साथ पेश है। पटवार हल्का बबराना के द्वारा उक्त पंजीयन दस्तावेज का नामान्तरकरण दिनांक 21.10.2024 नातान्तरण संख्यसा 1041 से दर्ज किया जो कि दिनांक 05.11.2024 को सरपंच ग्राम पंचायत बबराना से स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरण में तकनीकि त्रुटिवश आराजी नंबरान 203 रकबा0.29 है., आ.सं. 204 रकबा 0.08 है. एवं आ.सं. 2019/211 रकबा 0.04 है. भी केता के नाम दर्ज हो गया। नामान्तरण ग्राम पंचायत बबराना के द्वारा भी बिना जांच किये निर्णित कर दिया जिसे पुनः नामान्तरण खोला जावे। नामान्तरण दिनांक 05.11.2024 को फैसल हुआ तथा अपीलांट को जानकारी दिनांक 24.01.2025 को हुई जिसे 2 महीना अपील पेश करने की देरी हुई देरी अवधि को समायत करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है की अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 1041 दिनांक 05.11.2024 को निरस्त कर पुनः नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.08 14:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

2024 को सरपंच ग्राम पंचायत बबराना से स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरण में तकनीकि त्रुटिवश आराजी नंबरान 203 रकबा0.29 है., आ.सं. 204 रकबा 0.08 है. एवं आ.सं. 2019/211 रकबा 0.04 है. भी केता के नाम दर्ज हो गया। नामान्तरण ग्राम पंचायत बबराना के द्वारा भी बिना जांच किये निर्णित कर दिया जिसे पुनः नामान्तरण खोला जावे। नामान्तरण दिनांक 05.11.2024 को फैसल हुआ तथा अपीलांट को जानकारी दिनांक 24.01.2025 को हुई जिसे 2 महीना अपील पेश करने की देरी हुई देरी अवधि को समायत करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है की अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 1041 दिनांक 05.11.2024 को निरस्त कर पुनः नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर उक्त नामान्तरण को निरस्त करा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा, अधीनस्थ ग्राम पंचायत, बबराना का निर्णय नामान्तरण सं. 1041 फैसल दिनांक 05.11.2024 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः नामान्तरण करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 1041 दिनांक 05.11.2024 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.08 14:11:40 IST
Reason: SelfAttested